



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24012025-260462
CG-DL-E-24012025-260462

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 45]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 24, 2025/माघ 4, 1946

No. 45]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 24, 2025/MAGHA 4, 1946

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

मसौदा अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 2025

सा.का.नि. 74(अ).— केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989, निम्नलिखित प्रारूप नियम, जिसे केंद्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 59 की उप धारा (4) और धारा 64 के खंड (त) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और संशोधन करने का प्रस्ताव करती है, इसके उक्त अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) द्वारा यथापेक्षित उनके द्वारा प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है और एतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि प्रारूप नियमों को उस तारीख से तीस दिन की अवधि समाप्त होने के बाद विचारार्थ स्वीकार कर लिया जाएगा जिस तारीख से सरकारी राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता के लिए उपलब्ध करायी जाती हैं।

इन नियमों के प्रति आपत्तियां एवं सुझाव, यदि कोई हो, को अपर सचिव (एमवीएल), ईमेल: comments-morth@gov.in सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 को पर भेजा जा सकता है।

उपरोक्त अवधि समाप्त होने से पहले उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली आपत्तियों या सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा;

प्रारूप नियम

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ - (1) इन नियमों को केन्द्रीय मोटर यान (... .. संशोधन) नियमावली, 2024 कहा जाएगा।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 के नियम 51क में उप नियम (ii) के पश्चात् निम्नलिखित उप नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, नामतः-

(iii) पचास प्रतिशत तक, उन सभी परिवहन और गैर-परिवहन वाहनों के मामले में, जो बड़े पैमाने पर उत्सर्जन मानक भारत चरण I (बीएस-I) और पहले के बड़े पैमाने पर उत्सर्जन मानक मानदंडों के अनुसार निर्मित किए जाते हैं और सभी मध्यम और भारी माल मोटर वाहन और सभी मध्यम और भारी यात्री मोटर वाहन, जो बड़े पैमाने पर उत्सर्जन मानक भारत चरण II (बीएस-II) मानदंडों के अनुसार निर्मित किए जाते हैं।

[फा. सं. आरटी-16011/6/2024-टी]

महमूद अहमद, अपर सचिव

टिप्पणः मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि(अ), दिनांक द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार अधिसूचना संख्या सा.का.नि(अ), दिनांक द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

DRAFT NOTIFICATION

New Delhi, the 24th January, 2025

G.S.R. 74(E).—The following draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by subsection (4) of section 59 and clause (p) of section 64 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), is hereby published as required by subsection (1) of section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of thirty days from the date on which the copies of this notification, as published in the Official Gazette, are made available to the public;

Objections and suggestions to these draft rules, if any, may be sent to the Additional Secretary (Transport), email: comments-morth@gov.in, Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi-110 001.

The objections or suggestions which may be received from any person in respect of the said draft rules before the expiry of the aforesaid period will be considered by the Central Government.

DRAFT RULES

1. **Short title and commencement.** - (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (..... Amendment) Rules, 2024

(2) They shall come into force from the date of publication of the notification.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989, in rule 51A after sub-rule (ii), the following sub-rule shall be inserted, namely:

(iii) up to fifty per cent, in case of all transport and non-transport vehicles which are manufactured as per Mass Emission Standards Bharat Stage I (BS-I) norms and earlier Mass Emission Standard norms and all medium & heavy

goods motor vehicles and all medium & heavy passenger motor vehicles which are manufactured as per Mass Emission Standards Bharat Stage II (BSII) norms.

[F. No. RT-16011/6/2024-T]

MAHMOOD AHMED, Addl. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide notification number G.S.R.(E), dated and lastly amended vide notification number G.S.R.(E), dated